

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0315 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 26/11/2025 14:56 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
4	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
5	भा दं सं 1860	193
6	भा दं सं 1860	420
7	भा दं सं 1860	120-B

(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 12/10/2021 Date To (दिनांक तक): 16/02/2022
Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे
(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 26/11/2025 Time (समय): 14:00 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय): 26/11/2025 14:56:27 बजे

Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 540 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): GRAM PANCHAYAT BARODIYA, PANCHYAT SAMITI BAGIDAURA, JILA BANSWARA

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S
(थाना का नाम):

District(State)
(जिला (राज्य)):

5. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): JAYANTILAL BHATT

(b) Father's Name (पिता का नाम): UMMEDRAM BHATT

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1957

(d) Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

(जारी करने की तिथि):

Place of Issue

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BARODIYA, BAGIDAURA JILA BANSWARA, BANSWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BARODIYA, BAGIDAURA JILA BANSWARA, BANSWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMESH CHANDRA DODIYAR		पिता:DHULA DODIYAR	1. DDUGRI BASTI BARODIYA,BAGIDAURA,BANS WARA,RAJASTHAN,INDIA
2	RAJKUMAR SHARMA		पिता:PRASNNAT PARSAD	1. 36,,100 FIT ROAD,SHASTRI NAGAR,BANSWARA,RAJASTH AN,INDIA
3	NATHI BAI JAIN		पति:CHANDMAL JAIN	1. BARODIYA,BAGIDAURA,BANS

4	CHANDMAL JAIN		पिता:MEETALAL JAIN	1. BARODIYA,BAGIDAURA,BANS
5	PRIYANKA JAIN		पति:MAYANK JAIN	1. BARODIYA,BAGIDAURA,BANS
6	RAJMATI JAIN		पति:NITESH JAIN	1. BARODIYA,BAGIDAURA,BANS
7	NITESH KUMAR JAIN		पिता:CHANDMAL JAIN	1. BARODIYA,BAGIDAURA,BANS
8	SEJAL		पिता:NITESH KUMAR JAIN	1. BARODIYA,BAGIDAURA,BANS
9	TAKSH JAIN		पिता:VIKASH JAIN	1. BARODIYA,BAGIDAURA,BANS
10	NEELAM		पति:VIKASH JAIN	1. BARODIYA,BAGIDAURA,BANS
11	VIKASH JAIN		पिता:CHANDMAL JAIN	1. BARODIYA,BAGIDAURA,BANS

3. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,40,57,250.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)

2,40,57,250.00

(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

महोदय

निवेदन है कि परिवादी श्री जयन्तिलाल भट्ट निवासी गांव बडोदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा द्वारा एक शिकायत इस आषय की पेश की गई कि" ग्राम पंचायत तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा के सरपंच व पंचायत कर्मचारीयो द्वारा एक ही परिवार के नव सदस्यों को करोडो की भूमी 6700 रु छः हजार सात रुपियो में विक्रयकर पंचायतीराज एवं राज्य सरकार को करोडो का नुकसान कर अवैधरूप से भ्रष्टाचार कर निम्न पंजिकृत दस्तावेज संख्या व पट्टा संख्या नव परिवार को पंचायत द्वारा बिना किसी वैध प्रस्ताव के करोडो रुपियो का संग्रहण किया है।

क्रसं कार्यालय उप पंजियक बागीदौरा दस्तावेज संख्या व दिनांक ग्राम पंचायत बडोदिया सं दिनांक पट्टा संख्या दिनांक भूमि का क्षेत्रफल वर्गफिट भुमि की मालयत किमत दस्तावेज में अंकित

- 1 202101121001313 26-10-21 1225-10-2021 2400 1423200
- 2 20210112100131426-10-21 825-10-21 2250 1280250
- 3 20210112100131526-10-21 725-10-21 2250 1334250
- 4 20210112100131626-10-21 625-10-21 2250 1334250
- 5 20210112100131726-10-21 425-10-21 2200 1304600
- 6 20210112100131826-10-21 525-10-21 2250 1280250
- 7 20210112100131926-10-21 1025-10-21 2200 13046500

8 2021112100132026-10-21 925-10-21 200 1630750

9 20210112100132126-10-21 1125-10-21 2400 1423200

यह है कि पंजीकृत दस्तावेज एवं पट्टाधारियों का 50 पचास वर्षों से ज्यादा का बना हुआ निर्मित मकान बताकर पटवारी व राजस्व अधिकारी उप पंजीयक बागीदौरा ने बिना जांच किये ही आनन फानन में दस्तावेज पंजीयन कर दिये लेकिन दिनांक 12.01.2022 लिये फोटू में उक्त भूमि पर कोई मकान नहीं है की प्रति संलग्न है जिनकी दस्तावेजों में फर्जी मकान के फोटू लगाकर जिसमें दस्तावेज में गवाहों ने भी असत्य तस्दीक कर प्रमाणित किये हैं जिसमें दस्तावेज उक्त सर्वे नं 809,810,811 की भूमि मुख्य सड़क से सट कर स्थित होकर तीन करोड़ों रूपियों से अधिक की है। उपरोक्त भूमि आज से आठ व नव वर्ष पूर्व कार्यालय तहसीलदार बागीदौरा द्वारा आदेश क्रमांक 937-38 दिनांक 09.04.2012 व आदेश क्रमांक 939-40 दिनांक 09.04.2012 व आदेश क्रमांक 941-42 दिनांक 09.04.2012 द्वारा आदिवासीयों से भीलो से राजकार्य के लिए समर्पित करवाई थी जिसकी प्रति संलग्न है निजी व्यक्ति व परिवार को पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है राज कार्यों में ही उपयोग में ली जा सकती थी तहसील बागीदौरा में प्रकरण विचाराधीन होने के बाद नियमों के विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा ने तहसीलदार के प्रस्ताव के आधार पर बिना मौका दिखे ग्राम पंचायत बडौदिया के नाम आदेश क्रमांक 157,158 दिनांक 12.10.21 को आबादी विस्तार हेतु आदेश जिसकी प्रति संलग्न है प्रदान कर नामांतरण 1988 दिनांक 20.10.2021 व नामान्तरण क्र 1991 दिनांक 12.10.21 द्वारा नामान्तरण स्वीकृत कर आनन फानन में बिना किसी वैधानिक कार्यवाही कर पट्टे जारी कर दिये। जो पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 (1) में पट्टे जारी नहीं किये जा सकते हैं। अतः श्रीमान् से विनती है उपरोक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कि जावें। जिस पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा शिकायत आर नं 1062/2022 दिनांक 16.02.2022 दर्ज कर ब्यूरो मुख्यालय के आदेश क्रमांक 3789-90 दिनांक 02.04.2025 द्वारा शिकायत मय संलग्न दस्तावेजात एवं धारा 17 ए पूर्वानुमोदन एवं शिकायत पर प्राथमिक जांच दर्ज करने का आदेश प्राप्त होने पर ब्यूरो कार्यालय के पत्रांक 488 दिनांक 21.05.2025 द्वारा प्राथमिक जांच पंजीयन रिपोर्ट ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित करने पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा अपने पत्रांक 560-64 दिनांक 30.05.2025 प्राथमिक जांच संख्या 39/25 दिनांक 30.05.2025 पंजीबद्ध कर अग्रिम जांच मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के जिम्मे की गई। तत्पश्चात प्राथमिक जांच के दौरान पूर्व में शिकायत आर नं 1062/2022 में की गई जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां चाहने हेतु श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा को जरिये पत्रांक 605 दिनांक 08.06.2025 प्रेषित कर जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई एवं श्री रामकरण योगी सहायक विकास अधिकारी/शाखा प्रभारी कार्यालय जिला परिषद पराप्र बांसवाडा के बयान लेखबद्ध किये गए तथा ब्यूरो कार्यालय के पत्रांक 700 दिनांक 14.07.2025 द्वारा शिकायत आर नं 1062/2022 में गठित कमेटी सदस्यों से पूछताछ हेतु तहरिर जारी कर तलब कर जांच कमेटी सदस्य श्री विनीत पण्ड्या तत्कालीन विधि अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा, श्री हंसराज सिंह अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति बांसवाडा एवं श्री जयन्तिलाल भट्ट परिवारी के बयान लिये जाकर शामिल पत्रावली किए गए। प्राथमिक जांच में दस्तावेजी एवं मौखित साक्ष्य के आधार व कमेटी सदस्य, परिवारी के बयानों से स्पष्ट हुआ की श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् बांसवाडा के आदेश क्रमांक एफ(1)जिपबा/पंचायत/जांच/23-24/3517 दिनांक 13.02.2024 से श्री कैलाशचन्द्र बारोलिया अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा के निर्देशन में त्रि सदस्य जांच कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी में श्री विनीत पण्ड्या वरिष्ठ विधि अधिकारी व श्री हंसराज सिंह अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति बांसवाडा, श्री बाबुलाल यादव विकास अधिकारी पंचायत समिति बांसवाडा को कमेटी सदस्य मनोनीत किया गया था। इन तीनों सदस्यों द्वारा उक्त आदेश की पालना में दिनांक 29.07.2024 को ग्राम पंचायत बडौदिया के ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती कलावती द्वारा पट्टा पत्रावलीया उपलब्ध कराई गई। परिवारी श्री जयन्तिलाल भट्ट की शिकायत में ग्राम पंचायत बडौदिया पंचायत समिति बागीदौरा के सरपंच एवं पंचायत के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार कारित कर एक ही परिवार के नौ सदस्यों को पंचायत द्वारा बिना किसी वैध प्रस्ताव के व भूमि की निलामी की प्रक्रिया ना अपनाकर नुकसान पहुंचाने सम्बन्धित दी थी। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जांच कमेटी सदस्यों की रिपोर्ट निम्नानुसार है। जांच में राजस्व ग्राम बडौदिया के खसरा संख्या 809, 810 तथा 811 में ग्राम पंचायत बडौदिया द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1) दिनांक 19.04.2021 में पारित संकल्प की अनुपालना में दिनांक 25.10.2021 को नौ पट्टे जारी किए गए थे जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रसं आवासीय भूमि का पट्टा जिसके नाम आवंटित किया गया निवासी सर्वे नम्बर जिसमें पट्टा जारी किया गया रकबा हैक्टेयर

पट्टे में भूमि का क्षेत्रफल वर्गफीट पट्टा संख्या संकल्प संख्या दिनांक पट्टा जारी दिनांक

1 श्रीमती नाथी बाई जैन पत्नी चांदमल जैन बडौदिया 809 0-08 gSO 2200 04 05@19-04-2021 25-10-2021

2 श्री चांदमल जैन पुत्र श्री मीठालाल जैन बडौदिया 809 0-08 gSO 2250 05 06@19-04-2021 25-10-2021

3 श्रीमती प्रीयंका जैन पत्नी श्री मयंक जैन बडौदिया 809 0-08 gSO 2250 06 07@19-04-2021 25-10-2021

4 श्री राजमती जैन पत्नी श्री नितेश जैन बडौदिया 809 0-08 gSO 2250 07 08@19-04-2021 25-10-2021

5 श्री नितेश कुमार जैन पुत्र श्री चांदमल जैन बडौदिया 810 0-07 gSO 2250 08 09@19-04-2021 25-10-2021

- 6 सुश्री सेजल पुत्री श्री नीतेष कुमार जैन बडौदिया 810 0-07 gSO 2200 09 10@19-04-2021 25-10-2021
7 श्री तक्ष जैन पुत्र श्री विकास जैन बडौदिया 810 0-07 gSO 2200 10 11@19-04-2021 25-10-2021
8 श्रीमती निलम पत्नी श्री विकास जैन बडौदिया 811 0-05 gSO 2400 11 12@19-04-2021 25-10-2021
9 श्री विकास जैन पुत्र श्री चांदमल जैन बडौदिया 811 0-05 gSO 2400 12 13@19-04-2021 25-10-2021

प्राथमिक जांच में उपलब्ध दस्तावेजों यथा पट्टों की मिसल पत्रावली, ग्राम पंचायत का ग्राम सभा बैठक कार्यवाही रजिस्टर, उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा की रिपोर्ट दिनांक 11.08.2020 तथा आदेश दिनांक 12.10.2021 जमाबन्दी संवत् 2074-2077 आदि का अवलोकन किया गया। प्रभारी अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बागीदौरा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत आदेश क्रमांक राजस्व/आबादी विस्तार/2021/157 दिनांक 12.10.2021 द्वारा ग्राम बडौदिया तहसील बागीदौरा के आराजी नम्बर 810 रकबा 0.07 हैक्टर, आराजी नम्बर 811 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 2, कुल रकबा 0.12 हैक्टर किस्म भूमि बारानी तृतीय एवं बारानी द्वितीय तथा आराजी संख्या 809 रकबा 0.08 हैक्टर, आराजी नम्बर 2002 रकबा 1.01 हैक्टर में से 0.30 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.38 हैक्टर किस्म भूमि बारानी तृतीय बिला नाम काबिल काफ्त श्री सरकार भूमि में निर्मित आवासां हेतु नियमानुसार पट्टे जारी किये जाने के क्रम में चाही जाने से उक्त आराजीयात भूमि ग्राम पंचायत बडौदिया के नाम आबादी विस्तार हेतु आरक्षित रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये। राजस्व ग्राम बडौदिया की नकल जमाबन्दी संवत् 2074-2077 दिनांक 26.06.2024 के अनुसार खसरा संख्या नम्बर 809, 810, 811 ग्राम पंचायत बडौदिया के नाम आबादी विस्तार हेतु आरक्षित गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बडौदिया द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तोवेजां के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा के आदेश क्रमांक 157, 158 दिनांक 12.10.2021 द्वारा प्रणगत भूमि का आबादी विस्तार हेतु मात्र आरक्षण किया गया है आवंटन नहीं इस प्रकार ग्राम पंचायत बडौदिया द्वारा पट्टे जारी करने का ग्राम पंचायत का कोई क्षेत्राधिकार न था। अतः खसरा संख्या 809, 810 तथा 811 पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी समस्त पट्टे अविधिमान्य है। इसके पश्चात ब्यूरो कार्यालय के पत्रांक 730 दिनांक 28.07.2025 द्वारा प्राथमिक जांच में श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बांसवाडा की पूर्व जांच कमेटी द्वारा उक्त पट्टों को अविधिमान्य माना गया जिस सम्बन्ध विभाग द्वारा की गई कार्यवाही एवं वर्तमान स्थिती रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई है। उल्लेखनीय है कि जिला परिषद बांसवाडा गठित की गई पूर्व जांच कमेटी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट उल्लेखित सभी पट्टों को नियम विरुद्ध मानते हुये राज्य सरकार की करोडो रूपयों की भूमि को बिना किसी वैध प्रस्ताव के, बिना किसी निलामी प्रक्रिया अपनाये राजस्व ग्राम बडौदिया के खसरा संख्या 809, 810 तथा 811 में ग्राम पंचायत बडौदिया द्वारा पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) पट्टे जारी कर दिये गए। उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत दिनांक 12.10.2021 द्वारा ग्राम पंचायत बडौदिया तहसील बागीदौरा के आराजी नम्बर 810 रकबा 0.07 हैक्टर, आराजी नम्बर 811 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता 2, कुल रकबा 0.12 हैक्टर किस्म भूमि बारानी तृतीय एवं बारानी द्वितीय तथा आराजी संख्या 809 रकबा 0.08 हैक्टर, आराजी नम्बर 2002 रकबा 1.01 हैक्टर में से 0.30 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.38 हैक्टर किस्म भूमि बारानी तृतीय बिला नाम काबिल काफ्त श्री सरकार भूमि में निर्मित आवासां हेतु नियमानुसार पट्टे जारी किये जाने के क्रम में चाही जाने से उक्त आराजीयात भूमि ग्राम पंचायत बडौदिया के नाम आबादी विस्तार हेतु आरक्षित रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये। राजस्व ग्राम बडौदिया की नकल जमाबन्दी संवत् 2074-2077 दिनांक 26.06.2024 के अनुसार खसरा संख्या नम्बर 809, 810, 811 ग्राम पंचायत बडौदिया के नाम आबादी विस्तार हेतु आरक्षित गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा द्वारा भूमि का आबादी विस्तार हेतु मात्र आरक्षण किया गया है आवंटन नहीं इस प्रकार ग्राम पंचायत बडौदिया द्वारा पट्टे जारी करने जो की खसरा संख्या 809, 810, 811 अनाधिकृत रूप से आपस में मिलिभगत कर एक ही परिवार के 9 सदस्यों का अविधिमान्य तरीके से पट्टे जारी किए गए है। जो राज्य सरकार को अनुचित आर्थिक हानि पहुंचाने के आरोप जांच से प्रमाणित पाया गया। इस प्रकार से प्राथमिक जांच से आरोपीगण 1- श्री रमेशचन्द्र डोडियार उम्र वयस्क सरपंच ग्राम पंचायत बडौदिया पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाडा 2- श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री प्रसन्नत प्रसाद उम्र 61 वर्ष निवासी मकान नम्बर 36,100 फिट रोड शास्त्री नगर बांसवाडा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विभाग बडौदिया पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाडा हाल सेवानिवृत्त 3- श्रीमती नाथी बाई जैन पत्नी चांदमल जैन जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बडौदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थीगण 4- श्री चांदमल जैन पुत्र श्री मीठालाल जैन जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बडौदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थी 5- श्रीमति प्रीयंका जैन पत्नी श्री मयंक जैन जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बडौदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थीगण 6- श्रीमति राजमती जैन पत्नी श्री नितेश जैन जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बडौदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थीगण 7- श्री नितेश कुमार जैन पुत्र श्री चांदमल जैन जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बडौदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थीगण 8- सुश्री सेजल पुत्री श्री नीतेष कुमार जैन जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बडौदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थीगण 9- श्री तक्ष जैन पुत्र श्री विकास जैन जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बडौदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थीगण 10- श्रीमती निलम पत्नी श्री विकास जैन जाति जैन उम्र वयस्क निवासी

बडोदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थीगण 11-श्री विकास जैन पुत्र श्री चांदमल जैन जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बडोदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थीगण द्वारा आपस में मिलीभगत कर सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग कर लाभार्थीगण से आपस में मिलिभगत कर पट्टे जारी करने में परिवारी के प्रार्थना पत्र अनुसार भूमि की अनुमानित किमत कुल 2,40,57,250/- रुपये की राजस्व हानि करना, जो उपरोक्त सभी का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7(C), 12,13(1)(A) सहपठित 13(2) पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) 193, 420, 120 बी आईपीसी के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः 1. श्री रमेशचन्द्र डोडियार पुत्र श्री धुला डोडियार उम्र 49 वर्ष निवासी डुगरी बस्ती बडोदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बडोदिया पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाडा 2. श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री प्रसन्नत प्रसाद उम्र 61 वर्ष निवासी मकान नम्बर 36,100 फिट रोड शास्त्री नगर बांसवाडा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विभाग बडोदिया पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाडा हाल सेवानिवृत्त 3. श्रीमती नाथी बाई जैन पत्नी चांदमल जैन जाति जैन उम्र 63 वर्ष निवासी बडोदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थीगण 4. श्री चांदमल जैन पुत्र श्री मीठालाल जैन जाति जैन उम्र 69 वर्ष निवासी बडोदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थीगण 5. श्रीमति प्रीयंका जैन पत्नी श्री मयंक जैन जाति जैन उम्र 42 वर्ष निवासी बडोदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थीगण 6. श्रीमति राजमती जैन पत्नी श्री नितेश जैन जाति जैन उम्र 45 वर्ष निवासी बडोदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थीगण 7. श्री नितेश कुमार जैन पुत्र श्री चांदमल जैन जाति जैन उम्र 47 वर्ष निवासी बडोदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थीगण 8. सुश्री सेजल पुत्री श्री नीतेष कुमार जैन जाति जैन उम्र 25 वर्ष निवासी बडोदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थीगण 9. श्री तक्ष जैन पुत्र श्री विकास जैन जाति जैन उम्र 22 वर्ष निवासी बडोदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थीगण 10. श्रीमती निलम पत्नी श्री विकास जैन जाति जैन उम्र 45 वर्ष निवासी बडोदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थीगण 11. श्री विकास जैन पुत्र श्री चांदमल जैन जाति जैन उम्र 45 वर्ष निवासी बडोदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थीगण द्वारा आपस में मिलीभगत कर सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग कर लाभार्थीगण से आपस में मिलिभगत कर पट्टे जारी करने में परिवारी के प्रार्थना पत्र अनुसार भूमि की अनुमानित किमत कुल 2,40,57,250/- रुपये की राजस्व हानि करना, जो उपरोक्त सभी का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7(सी)12 13(1)(ए)

सहपठित 13(2) पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) 193, 420, 120 बी आईपीसी के अन्तर्गत बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित हैं। भवदीय, (ऋषिकेश मीना) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट ऋषिकेश मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7(C), 12,13(1) (A) सहपठित 13(2) पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) 193,420,120-बी आईपीसी में आरोपीयान 1. श्री रमेशचन्द्र डोडियार पुत्र श्री धुला डोडियार उम्र 49 वर्ष निवासी डुगरी बस्ती बडोदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बडोदिया पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाडा 2. श्री राजकुमार शर्मा पुत्र श्री प्रसन्नत प्रसाद उम्र 61 वर्ष निवासी मकान नम्बर 36,100 फिट रोड शास्त्री नगर बांसवाडा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विभाग बडोदिया पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाडा हाल सेवानिवृत्त 3. श्रीमती नाथी बाई जैन पत्नी चांदमल जैन जाति जैन उम्र 63 वर्ष निवासी बडोदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थी 4. श्री चांदमल जैन पुत्र श्री मीठालाल जैन जाति जैन उम्र 69 वर्ष निवासी बडोदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थी 5. श्रीमति प्रीयंका जैन पत्नी श्री मयंक जैन जाति जैन उम्र 42 वर्ष निवासी बडोदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थी 6. श्रीमति राजमती जैन पत्नी श्री नितेश जैन जाति जैन उम्र 45 वर्ष निवासी बडोदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थी 7. श्री नितेश कुमार जैन पुत्र श्री चांदमल जैन जाति जैन उम्र 47 वर्ष निवासी बडोदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थी 8. सुश्री सेजल पुत्री श्री नीतेष कुमार जैन जाति जैन उम्र 25 वर्ष निवासी बडोदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थी 9. श्री तक्ष जैन पुत्र श्री विकास जैन जाति जैन उम्र 22 वर्ष निवासी बडोदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थी 10. श्रीमती निलम पत्नी श्री विकास जैन जाति जैन उम्र 45 वर्ष निवासी बडोदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थी 11. श्री विकास जैन पुत्र श्री चांदमल जैन जाति जैन उम्र 45 वर्ष निवासी बडोदिया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा, लाभार्थी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान श्री रतनसिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 504 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1782-87 दिनांक 26.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- 1- विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर 2- शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर 3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला परिषद् बांसवाडा 4- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा 6- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (पी.ई. 39/2025)।
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका गढ़ सं.2 में उल्लेख द्वारा के गह्व हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

OR (या)

(2) Directed (Name of I.O.): Ratan Singh Rank उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
(जांच अधिकारी का नाम): Rajpurohit (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) OR (या)

(3) Refused Investigation due to
(जांच के लिए):

OR (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई जाना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan, India
Date: 20/1/2025

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की तिनांक और समय):

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1976				
2	Male	1964				
3	Female	1962				
4	Male	1956				
5	Female	1983				
6	Female	1980				
7	Male	1978				
8	Female	2000				
9	Male	2003				
10	Female	1980				
11	Male	1980				

[illegible]

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

[illegible]

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता सिद्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)